भारत में होनेवाले गर्भपात

एप्रिल १९७२ में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नन्सी एक्ट (एमटीपी कानून) अस्तित्व में आने के बाद गर्भपात को कानूनन मान्यता दी गयी है। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तोंपर सुरक्षित और कानूनन गर्भपात को अनुमति देने की तरफ उठाया गया एमटीपी एक्ट एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

एमटीपी एक्ट के अंतर्गत गर्भपात निम्न कारणों हेतु गर्भपात किया जा सकता है:

- अगर गर्भावस्था को जारी रखना गर्भवती महिला की जान को खतरा हो या उसकी वजह से उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य का नुकसान होनेवाला हो।
- शिशु के जन्म के बाद शारीरिक या मानसिक विकलांगता आने की संभावना हो।
- अगर उसकी गर्भावस्था बलात्कार की वजह से हुआ हो (मानसिक स्वास्थ्य को हानी पहुंचने की संभावना इस में मानी गयी है।)
- विवाहित महिला या उसके पती गर्भनिरोधन का प्रयोग करते हैं और उसके असफल रहने की वजह से गर्भावस्था हो (मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना इस में मानी गयी है।)

१२-२० सप्ताहों के बीच गर्भपात कराने हेतु दो रजिस्टर्ड चिकित्सकों की सलाह लेना आवश्यक है।

कानूनन गर्भपात जान बचा सकता है- लेकिन वह उपलब्ध होना जरुरी है

विभिन्न प्रकार की शर्तों के अनुसार भारत में गत चार दशकों से भी अधिक काल से गर्भपात कानूनन माना गया है। परंतु आज भी सुरक्षित गर्भपात सेवा कई जगहों पर उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि महिलाओं को गर्भपात करवाने हेतु असुरक्षित जगहों पर जाना पडता है या अप्रशिक्षित व्यक्तिओं से गर्भपात करवाने पडते हैं। हर साल भारत में लगभग ६.४ दशलक्ष गर्भपात किए जाते हैं जिनमें से लगभग ५६ फीसदी असुरक्षित हैं । (एएपी १, २००२-०३)

भारत की मुश्किलें

भारत में वैद्यकीय गर्भपात कानून उदार होते हुए भी प्रशिक्षित सेवादाताओं की अनुपलब्धता, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता और गर्भपात के कानूनी होने के बारे में अधूरा ज्ञान इन वजहों से गर्भपात से संबंधित मृत्यु और बीमारियाँ बढती जाती हैं। भारत में हर जो १३ महिलाओं की गर्भपात से संबंधित वजहों से मृत्यु होती है और सेकडों महिलाओं को गंभीर बीमारियों का सामना करना पडता है।

इनकी वजहें समझें

महिलाओं को अनेक कठिनाइयों की वजह से असुरक्षित गर्भपात करवाना पडता है। अनेक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचना यही एक बडी कठिनाई साबीत हो सकती है। वहाँ पहुँचने के बाद भी उसे सुरक्षित गर्भपात मिल पाएगा इसकी कोई गॅरंटी नहीं है। कई राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में जहाँ मरीजों की संख्या बडी मात्रा पर हैं, ७० फीसदी केंद्र कॉम्प्रेहेन्सिव गर्भपात सेवा देते हैं। परंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो महिलाओं का पहिला संपर्क स्थान होता है ऐसे ३० फीसदी जगहों पर गर्भपात सेवा उपलब्ध नहीं है।

गर्भपात की सेवा जहाँ उपलब्ध है वहाँ भी कई लोगों को यह पता नहीं कि वह कानूनी है और उन्हें सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ मिलनेवाली जगहों का भी पता नहीं। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में। जैसे कि; अभ्यास से यह पता चलता है कि लगभग २० फीसदी लोगों को गर्भपात कानूनी होने की बात पता है। बाकी राज्यों में उदा। मध्य प्रदेश उससे भी कम लोग (१२ फीसदी) गर्भपात कानूनी होने के बारे में जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हाल ही में किए गये संशोधन में यह पता चला है कि महिला को गर्भपात सेवादाता स्वास्थ्य केंद्रतक जाने हेतु लगभग २० किलोमीटर की दूरी तय करनी पडती है।

समाज में गर्भपात को और गर्भपात करानेवाली महिलाएँ, विशेषतः युवतियाँ, अविवाहित स्त्रियाओं को कलंक माना जाता है और असुरक्षित गर्भपात का यह एक महत्त्वपूर्ण कारण है। कुछ चिकित्सक ऐसे स्त्रियाओं का गर्भपात करने से मना करते हैं या उन्हे अपने मातापिता को स्वास्थ्य केंद्र में लाने के लिए कहते हैं। इस कारण से कई लडकियों को असुरक्षित और खतरनाक जगहोंपर जाकर गर्भपात करवाना पडता है। कानूनन १८ साल की उम्र के बाद महिला अपनी इच्छा से गर्भपात करवा सकती है। परंतु बहोतसे चिकित्सक अपने पति या बाकी रिश्तेदारों की अनुमति लेने का आग्रह करते हैं।

कुछ प्रशिक्षित और आसानी से उपलब्ध ना होनेवाले सेवादाता, सुरक्षित सेवाओं के बारे में अज्ञान और धब्बा इनकी वजह से महिलाओं को ज्यादा आसान परंतु अकुशल सेवादाताओं के पास जाना पडता है जो असुरक्षित गर्भपात करवाते हैं। उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। भारत का गर्भपात कानून गर्भपात के बारे में एक उदार दृष्टिकोन रखता है। इसके बावजूद असुरक्षित गर्भपात की वजह से मृत्यु और बीमारी- विकलांगता बढती है। जनन के हक याद रखते हुए किसी भी महिला को असुरक्षित गर्भपात की वजह से मृत्यू का सामना ना करना पडे इसलिए सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ उपलब्ध कराना और उन्हे उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सीमा एक शादीशुदा महिला है और उसकी एक दस महिने उम्र की बेटी है। उसने और उसके पतीने गर्भनिरोधकों का प्रयोग करने के बावजूद वह गर्भवती रही थी। उन्हें भारत में गर्भपात कानूनी होने के बारे में पता था। वह महाराष्ट्र के जलगाँव जिले के अपने नजदीकी सार्वजनिक स्वास्थ केंद्र में गए किंतु प्रशिक्षित चिकित्सक के अभाव के चलते उन्हें सेवा नहीं मिली। वहाँ से वह एक निजी केंद्र में गए। लेकिन उन्होंने पुलिस की रेड के डर से (गर्भपात कानूनन होते हुए भी) गर्भपात को मना किया। सीमा एक लडकी की माँ होने की वजह से वह कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहते थें।

सीमा और उसके पति को एक दूर के रिश्तेदारने पडोस के गुजरात राज्य के एक क्लिनिक के बारे में बताया। वहाँ गर्भपात की सुविधाएँ उपलब्ध थी। किंतु उन्हे कानूनन, प्रमाणित और अप्रमाणित क्लिनिक इस बारे में पता नहीं था। इस क्लिनिक में एक अप्रशिक्षित चिकित्सक था। उसने सीमा को गर्भपात तो किया लेकिन उसके गर्भ की बडी हानि हुई। उसका बहोत सा खून बह गया और वह बेहोश हो गयी। उसे दूसरे एक क्लिनिक में ले जाया गया जहाँ उसपर उपचार किए गये।

सीमा की जान तो बच गयी लेकिन उसे बडी शारीरिक हानि हुई। गर्भपात सेवाएँ अगर आसानी से उपलब्ध होती तो सीमा और उसके पति को जो आर्थिक हानि सहनी पडी वह भी कम हो जाती।